कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी (राज0)

क्रमांक – पं0/आब./बन्दो0/2018–19/ 231-236 दिनांक– 25.09.2018

देशी मदिरा खुदरा/समूह के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमन्त्रण की सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 हेतु आबकारी जिला बून्दी में निरस्त की गई देशी मदिरा समूह/दुकान वार्ड नं0 15,17,18 बून्दीशहर के अनुज्ञापत्र वर्ष 2018–19 की शेष अवधि हेतु आनुपातिक वार्षिक एकांकी विशेषाधिकार राशि पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं0	नाम देशी मदिरा समूह	समूह में स्वीकृत दुकान की संख्या	वर्षिक एकांकी विशेषाधिकार राशि (रू0 में)	एक प्रतिशत अमानत राशि (रू0 में)	आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय)
1	वार्ड नं0 15,17,18 बून्दीशहर	1	4852399	48524	21000

2. विस्तृत विवरण एवं दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट http://www.rajexciseapplicatioon2017-18.org एवं http://www.rajexcise.gov.in पर उपलब्ध है एवं समस्त आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें,
3. ऑनलाईन आवेदन उक्त विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 27.9.2018 को रात्रि 12:00 बजे तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन भरने का लिंक समाप्त हो जायेगा। आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैकिंग/ई–ग्रास चालान/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।
4. आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनैट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदकों के अलावा अन्य सभी आवेदकों का ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् उसकी प्रिन्टेड कॉपी को दिनांक 28.9.2018 को 04:00 पी0एम0 तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. दुकान/समूह हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रकिया द्वारा किया जावेगा। (लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 28.9.2018 को सांय 05:00 बजे जिला मुख्यालय पर निकाली जावेगी।)
6. अन्य जानकारी हेतु संबधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बून्दी में सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
बून्दी

क्रमांक – पं0/आब./बन्दो0/2018–19/ 231-236 दिनांक– 25.09.2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय, आबकारी(नीति) राजस्थान उदयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय, आबकारी जोन कोटा।
4. कम्प्यूटर सेल आबकारी राजस्थान उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विभागीय वेबसाईट पर विज्ञप्ति एवं आवेदन प्रस्तुत करने संबन्धित प्रपत्र अपलोड करने का श्रम करें।
5. संपादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर बून्दी को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति मिनिमम विजिबल फोन्ट में कोटा संभागीय संस्करण में डी0पी0आर0 रेट पर दिनांक 26.9.2018 को प्रकाशित करने का श्रम करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
बून्दी

Scanned by CamScanner